राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(9) चि.स्वा./ग्रुप–2/2011

जयपुर, दिनांक : 20.12.2011

आ दे श

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए निम्न अधिकारियों की तुरन्त प्रभाव से राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में ड्यूटी लगाई जाती है। ये अधिकारी सम्भाग के जिला कलेक्टर/संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिदिन दोपहर 02.00 बजे एवं रात्रि 08.00 बजे एवं आवश्यकतानुसार समय–समय पर नवीनतम स्थिति की जानकारी लेंगे तथा प्रभारी अधिकारी श्री सत्यप्रकाश बसवाला, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग को अवगत करायेंगे:–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	ड्यूटी समय
1	श्री बी. के. दोषी, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	98291–65872	प्रातः 08.00 बजे से सायं 02.00 बजे तक
2	श्री कान सिंह राठौड, निदेशक, आई. ई. सी.	94141–58991	सायं 02.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक
3	श्री वी. एस. बाकांवत, परियोजना निदेशक, एन. आर. एच. एम.	94140–61404	रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 02.00 बजे तक
4	श्री कृष्णा राम, परियोजना निदेशक, मुख्य मंत्री बी. पी. एल जे. आर. के.	94616–73986	रात्रि 02.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक

श्री सत्यप्रकाश बसवाला, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) को कन्ट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री बसवाला कन्ट्रोल रूम से प्राप्त सूचनाओं से संबंधित उच्चाधिकारियों को अवगत करायेंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करायेंगे।

20.12.11
(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. मिशन निदेशक, एन. आर. एच. एम., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग।
11. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज.
13. औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
17. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ
18. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईड एवं सभी संबंधित को ई—मेल व एस. एम. एस. तुरन्त करावें।
19. प्रभारी, कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर। फोन नम्बर 0141—2225624, 2225000
20. निजी /रक्षित पत्रावली

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(9) चि.स्वा./ग्रुप–2/2011

जयपुर, दिनांक : 20.12.2011

आ दे श

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी जिला कलेक्टर के कार्यालयों में पूर्व में कार्यरत कन्ट्रोल रूम द्वारा चिकित्सकों की हडताल के संबंध में राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर को प्रतिदिन दोपहर 02.00 बजे एवं रात्रि 08.00 बजे एवं आवश्यकतानुसार समय–समय पर नवीनतम स्थिति से अवगत करवायेंगे (दूरभाष नम्बर 0141–2225624, 2225000) तथा आवश्यक व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को अवगत करायेंगे।

जिला कलेक्टर/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चिकित्सकों की हडताल के मध्यनजर उत्पन्न स्थिति से उच्चाधिकारियों को सूचित अवगत करायेंगे एवं चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं करेंगे।

20-12-11

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. मिशन निदेशक, एन. आर. एच. एम., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग।
11. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज.
13. औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
17. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईड एवं सभी संबंधित को ई–मेल व एस. एम. एस. तुरन्त करावें।
18. प्रभारी, कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर। फोन नम्बर 0141–2225624, 2225000
19. निजी /रक्षित पत्रावली

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः पीएस/पी.एच.एस./2011/195 | दिनांकः 19 दिसम्बर, 2011

URGENT/TODAY

समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान
समस्त पुलिस कमिश्नर, राजस्थान
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एंव स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

विषयः— **राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाओं के बारे मे पूर्व तैयारी सम्बन्धी निर्देश।**

राज्य सरकार के सेवारत् चिकित्सको द्वारा वेतन पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तो की सम्बन्ध मे पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमे सुधार की मांगी जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस सम्बन्ध मे सहानुभुतिपूर्वक वातावरण मे कई बैठके हुई तथा सेवारत् चिकित्कों को राज्य सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी।

सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर,2011 से सामूहिक कार्य बहिष्कार एवं अनिश्चितकालीन अनशन करने की घोषणा के सम्बन्ध में आपके स्तर पर निम्न कार्यवाही आज ही की जाना आवश्यक हैः—

1. **<u>सम्भागीय स्तर पर :—</u>**

- सम्बन्धित सम्भागीय आयुक्त अपने मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज से आवश्यक विषय जैसे—: मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स व गायनी के समुचित चिकित्सकों की जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में इस प्रकार से ड्यूटी लगायी जाये कि कम से कम 2 चिकित्सक प्रति 8 घण्टे की पारी में उपलब्ध हो सकें।

कमरा नं. 5213, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर-05 (राज.)
दूरभाष : +91-141-2227132 (कार्यालय) 2701277 (निवास) फैक्स : 0141-2227797 ई-मेल : phsrajasthan@gmail.com

- यदि किसी मेडिकल कॉलेज मे अधिक डाक्टर उपलब्ध होने की सम्भावना हो तो पास के सम्भाग में अतिरिक्त चिकित्सक भेजा जाना सुनिश्चित करें।

2. <u>जिला स्तर पर</u>

(1) अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशः–

- किसी भी परिस्थिति में किसी चिकित्सक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे।
- यदि फिर भी कोई चिकित्सक अनाधिकृत अवकाश पर रहता है तो उनके खिलाफ राज्य सेवा नियम में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जायें।

(2) <u>वैकल्पिक चिकित्सकीय व्यवस्था के बारे में निर्देशः–</u>

- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपके जिले में कार्यरत आयुष चिकित्सकों को लगा दिया जाये।
- जिले मे कार्यरत सेवानिवृत्त चिकित्सकों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सहायता जिला अस्पताल या खण्ड अस्पताल में इमरजेन्सी सेवाओं के लिए ली जा सकती है।
- जिले में उपलब्ध बेरोजगार चिकित्सकों को प्रतिदिन रूपये 700/– के दैनिक मानदेय पर आवश्यक चिकित्सकीय सेवाओं के लिए रखा जा सकता है।
- जिले में यदि केन्द्रीय सेवाओं के चिकित्सालय जैसे–रेल्वे, मिलेट्री आदि उपलब्ध हो तो इन चिकित्सालयों के नियंत्रको से सम्पर्क कर आवश्यक चिकित्सक उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
- जिले में कार्यरत निजी चिकित्सकों/निजी चिकित्सालयों से भी सम्पर्क स्थापित कर उनकी सेवाऐं भी जहां आवश्यक हों, ली जा सकती हैं। इन चिकित्सकों को दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध मे सम्बन्धित चिकित्सालयों की मेडिकेयर सोसायटी में आवश्यक निर्णय किये जा सकते हैं।
- जिले में कार्यरत समाज सेवी संस्थाओं यथा–रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब, लॉयनेस क्लब, रेडक्रास, मेरी स्टॉप्स, परिवार

सेवा संस्थान आदि से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सेवाऐं भी आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाओं में लिये जाने हेतु सुनिश्चित किया जावे।

- अन्तःरोगी को भर्ती करने वाले चिकित्सक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस रोगी के भर्ती रहने तक किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लेगा। उस रोगी की परिचर्या की जिम्मेदारी भी उसी चिकित्सक की होगी। यदि सम्बन्धित चिकित्सक रोगी की परिचर्या में कोताही बरतता है, तो उसके विरूद्ध संस्था प्रधान पुलिस कार्यवाही करेगा।
- इस अवधि में प्रसुताओं को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के नगद भुगतान की राशि निजी चिकित्सालय के डिस्चार्ज टिकट को सत्यापित कर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उस क्षेत्र में स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थान का अधिकृत अधिकारी भुगतान कर देवे। इसके लिये जिला स्तर पर जिला कलक्टर से उस संस्थान को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लिये अधिकृत (Accreditation) करवा लिया जाये।
- यदि कोई रोगी निजी चिकित्सालय में परामर्श लेता है व उसे जेनेरिक दवा लिखी जाती है तो वह दवा राजकीय चिकित्सालय के दवा वितरण केन्द से निःशुल्क दी जाये।

3. <u>सहायक चिकित्सकीय व्यवस्थाऐं:-</u>

- जिले मे कार्यरत सभी 108 एम्बुलेन्स मे निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर उपलब्ध करायी जाये, जिससे किसी भी इमरजेन्सी की स्थिति में मरीज/गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल मे पहुचायां जा सके।
- जिला स्तर पर कन्ट्रोल-रूम को तुरन्त सक्रिय किया जाये तथा प्रति घण्टे पूरे जिले की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जाये तथा प्रति दो घण्टे से राज्य स्तर पर, नियन्त्रण कक्ष 2225624 एंव 2225000, को सूचना दी जाये।

- चिकित्सकों की प्रस्तावित सामूहिक कार्य बहिष्कार एवं अनिश्चितकालीन अवकाश की अवधी के लिये उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों के साथ बैठक कर उनका सहयोग लिया जाये।

19.12.11

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राज0जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राज0जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान
9. प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक समस्त मेडिकल कालेज राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित समस्त को ई-मेल द्वारा सूचित करावें।
11. रक्षित पत्रावली

19.12.11

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : संस्था/चि0अ0/एटी/प.2/.11/196 **दिनांक :– 19 /12/11**

–: आदेश :–

राज्य के चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21/12/11 से हडताल पर जाने के मध्यनजर निम्नलिखित चिकित्सक जो निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षारत है को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर कार्य सम्पादन करने हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है। यह सभी चिकित्सक सुबह प्रातः 8:00 बजे अपने उल्लेखित चिकित्सा संस्थान पर उपस्थिति देंगे तथा हर 2 घंटे पश्चात् निदेशालय के स्टेट कन्ट्रोल रूम के फोन नं. 0141–2225624 पर स्थिति की रिपोर्ट देंगे तथा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की पूर्वानुमति बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे :–

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	चिकित्सा संस्थान/अस्पताल का नाम
1.	डा0 अशोक कुमार कानोडिया	सा0स्वा0केन्द्र, बस्सी (जयपुर)।
2.	डा0 शिवानी शर्मा	सा0स्वा0केन्द्र, साँगानेर (जयपुर)।
3.	डा0 अशोक कुमार नागर	सा0स्वा0केन्द्र, आमेर (जयपुर)।
4.	डा0 दीपिका पायल	सा0स्वा0केन्द्र, दूदू (जयपुर)।
5.	डा0 अश्विनी कुमार सक्सेना	सा0स्वा0केन्द्र, चाकसू (जयपुर)।
6.	डा0 हंसराज वर्मा	सा0स्वा0केन्द्र, फागी (जयपुर)।
7.	डा0 मोहम्मद सलीम	सा0स्वा0केन्द्र, पावटा (जयपुर)।
8.	डा0 प्रतीभा जैन चि0अ0 (दन्त)	सा0स्वा0केन्द्र, जमवारामगढ़ (जयपुर)।

19.12.11

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, परिवार कल्याण/एड्स/आई.ई.सी., मुख्यालय।
6. संबंधित चिकित्सकों को तुरन्त पालनार्थ।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
8. कार्यालय आदेश/निजी पत्रावली।

19.12.11

प्रमुख शासन सचिव

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : संस्था/चि0अ0/एटी/प.2/11/197 **दिनांक :– 19/12/11**

–: आदेश :–

राज्य के चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21/12/11 से हडताल पर जाने के मध्यनजर निम्नलिखित चिकित्सक जो निदेशालय में पदस्थापित है को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर दिनांक 21/12/11 से लगातार कार्य सम्पादन करने हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है। यह सभी चिकित्सक सुबह प्रातः 8:00 बजे अपने उल्लेखित चिकित्सा संस्थान पर उपस्थिति देगें तथा हर 2 घंटे पश्चात् निदेशालय के स्टेट कन्ट्रोल रूम के फोन नं. 0141–2225624 पर स्थिति की रिपोर्ट देंगे तथा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की पूर्वानुमति बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे :–

क.सं.	नाम चिकित्सक	चिकित्सा संस्थान/अस्पताल का नाम
1.	डा0 के. एन. गुप्ता	हरिबख्श कावंटिया जिला चिकित्सालय।
2.	डा0 स्नेहलता माथुर	हरिबख्श कावंटिया जिला चिकित्सालय।
3.	डा0 प्रशान्त कुमार	जिला चिकित्सालय, कोटपूतली।
4.	डा0 जी.एस. खत्री	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर (जयपुर)।
5.	डा0 के.के. कानूनगो	जिला चिकित्सालय अलवर
6.	डा0 माधुरी	सैटेलाईट अस्पताल, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
7.	डा0 कुसुम शर्मा	सैटेलाईट अस्पताल, बनीपार्क, जयपुर।
8.	डा0 बी.एल. शर्मा	बी.डी.के. अस्पताल, झुन्झुनू।
9.	डा0 मधु धमेजा	सैटेलाईट अस्पताल, बनीपार्क, जयपुर।
10.	डा0 के.सी. मीणा	जिला चिकित्सालय, कोटपूतली।
11.	डा0 रामरूप मीणा	राजकीय चिकित्सालय, बहरोड़ (अलवर)।
12.	डा0 नरेश	राजकीय चिकित्सालय, बहरोड़ (अलवर)।
13.	डा0 इन्द्रा गुप्ता	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
14.	डा0 अचला कपूर	हरिबख्श कावंटिया अस्पताल, जयपुर।
15.	डा0 पी.सी. राकां	सैटेलाईट अस्पताल, बनीपार्क, जयपुर।
16.	डा0 पी0 सी0 डिण्ढोरिया	सामु0स्वा0केन्द्र अमरसर (जयपुर)
17.	डा0 देवकृष्ण शर्मा	सामु0स्वा0केन्द्र आंधी (जयपुर)
18.	डा0 हेमराज नियारता	जिला चिकित्सालय सीकर
19.	डा0 उषा सांघी	सामु0स्वा0केन्द्र चाकसू (जयपुर)
20.	डा0 रामस्वरूप शर्मा	सामु0स्वा0केन्द्र चौमू (जयपुर)
21.	डा0 नुपुर प्रसाद	सामु0स्वा0केन्द्र दूदू (जयपुर)
22.	डा0 श्याम मुरारी मित्तल	सामु0स्वा0केन्द्र फागी (जयपुर)
23.	डा0 वी0 के0 शर्मा	सामु0स्वा0केन्द्र फुलेरा (जयपुर)
24.	डा0 रामावतार जायसवाल	सामु0स्वा0केन्द्र गोविन्दगढ (जयपुर)
25.	डा0 एस0 के0 मोहनपुरिया	सामु0स्वा0केन्द्र जमवारामगढ (जयपुर)
26.	डा0 एल0 एल0 दातोनिया	सामु0स्वा0केन्द्र किशनगढरेनवाल (जयपुर)
27.	डा0 आशा मीणा	सामु0स्वा0केन्द्र मनोहरपुर (जयपुर)
28.	डा0 गुंजन	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
29.	डा0 अरूणदीप रंधावा (चि0अ0 दन्त)	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
30.	डा0 अल्का शर्मा	सामु0स्वा0केन्द्र शाहपुरा (जयपुर)

32.	डा0 कल्पना व्यास	सामु0स्वा0केन्द्र बस्सी (जयपुर)
33.	डा0 हेमन्त शर्मा (चि0अ0 दन्त)	जिला चिकित्सालय दौसा
34.	डा0 अशोक सोंठवाल	सामु0स्वा0केन्द्र सांगानेर (जयपुर)
35.	डॉ. एस.बी. शर्मा (आयुष)	सामु0स्वा0केन्द्र पावटा (जयपुर)
36.	डॉ. हेमलता सारस्वत	सैटेलाईट अस्पताल, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
37.	डॉ. एम.एस. कृष्णीया (एन.आर.एच.एम.)	सामान्य चिकित्सालय, अलवर।
38.	डॉ. अभय बोहरा	एस.के. अस्पताल, सीकर।
39.	डॉ. रामबाबू शर्मा (आयुष)	सामु0स्वा0केन्द्र सांभर (जयपुर)
40.	डॉ. विजय यादव (आयुष)	जिला चिकित्सालय, कोटपूतली।
41.	डॉ. आर.एस. राठौड़ (एन.आई.पी.आई.)	जिला चिकित्सालय, दौसा।

19.12.11

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, परिवार कल्याण/एड्स/आई.ई.सी., मुख्यालय।
6. समस्त अधिकारीगण को तुरन्त पालनार्थ।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
8. कार्यालय आदेश/निजी पत्रावली।

19.12.11

प्रमुख शासन सचिव